पत्र संख्या/ / ज्वाइंट कमिश्नर (GST)/SOP under rule-86A/2019–20/ 909 वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनॉक:07,फरवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील)
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पो0सर्कि0/टैक्स आडिट)
समस्ट डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट)
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट)
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट)

विषयः अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी इनवाइसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर क्लेम की गयी क्रेडिट की नियम–86A के तहत Blocking/Unblocking की प्रक्रिया (SOP)निर्धारित किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 नियमावली एवं इसके समतुल्य सी0जी0एस0टी0 नियमावली के नियम–86A के प्राविधान निम्नवत् हैं–

Rule- "**86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-**

(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as-

a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-
   i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
   ii. without receipt of goods or services or both; or
b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or
c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.".

Scanned by CamScanner

नियम 86A के तहत कार्यवाही की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

1. उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–5(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल), खण्ड में तैनात डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टेण्ट कमिश्नर को निम्न शर्तों के साथ अधिकृत किया जाता है–

1.1 कर निर्धारण कार्यालयों में तैनात असिस्टेण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पो0सर्कि0) द्वारा नियम– 86A(1) के अंतर्गत कोई कार्यवाही केवल अपने अधिक्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में ही की जाएगी।

1.2 खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी के अधिक्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही संबंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जाएगी। जिन खण्ड कार्यालयों में डिप्टी कमिश्नर की तैनाती नहीं है, उन खण्डों में यह कार्यवाही खण्ड में तैनात असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा की जाएगी।

1.3 प्रवर्तन इकाइयों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 अधिनियम अथवा नियमावली के अंतर्गत की जाने वाली किसी कार्यवाही के दौरान यह पाये जाने पर कि राज्य क्षेत्राधिकार के किसी व्यापारी के विरूद्ध नियम–86A(1) के तहत कोई कार्यवाही अपेक्षित है, संबंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर एवं उस संभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पो0सर्कि0) से नियम–86A(1) के अंतर्गत कार्यवाही के तथ्य एवं आकस्मिकता का उल्लेख करते हुए ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा। इस उद्देश्य से प्रेषित ई–मेल की प्रति अनिवार्य रूप से अधिकृत न्याय निर्णयन प्राधिकारी(Adjudicating Authority) के नियंत्रक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 तथा मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग को पृष्ठांकित की जाएगी।

1.4 नियम–86A(1) के अंतर्गत कार्यवाही योग्य जिन मामलों का संज्ञान इस कार्यवाही हेतु अधिकृत न्याय निर्णयन अधिकारी (Adjudicating Authority) द्वारा स्वतः लिया जाएगा, उन मामलों की सूचना भी ई–मेल के माध्यम से अपने नियंत्रक ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक), एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 तथा मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी।

1.5 नियम– 86A(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा वांछित कार्यवाही प्रत्येक दशा में ई–मेल प्राप्ति के 2 कायदिवस के अंदर संपादित की जाएगी। नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही हेतु प्राप्त जो मामले अधिकृत न्याय निर्णयन प्राधिकारी (Adjudicating Authority) के स्तर से कार्यवाही योग्य नहीं पाये जायेंगे, उन मामलों की सूचना कारण एवं साक्ष्यों सहित संबंधित संभाग/जोन के ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग तथा कार्यवाही हेतु अनुरोध करने वाले अधिकारी को ई–मेल के माध्यम से 7 कार्यदिवस में प्रेषित की जाएगी।

1.6 नियम–86A(1) में अंकित 4 स्थितियों से भिन्न स्थिति में नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही नियम– 86A(1) में उल्लिखित मौद्रिक सीमा तक ही सीमित रखी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम–86A(1) की आड में किसी Genuine Taxpayer का उत्पीडन न हो।

1.7 नियम–86A(1) के तहत कृत कार्यवाही की सूचना कारण सहित संबंधित पंजीकृत व्यक्ति को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

2. उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–5(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम–86A(2) के तहत कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल), खण्ड में तैनात डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टेण्ट कमिश्नर को निम्न शर्तों के साथ अधिकृत किया जाता है–

2.1 कार्यवाही हेतु अधिकृत असिस्टेण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर द्वारा सविस्तार कारणों का उल्लेख करते हुए ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से तथा अधिकृत ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्पो0सर्कि0) द्वारा जोन के एडीशनल

Scanned by CamScanner

कमिश्नर ग्रेड–1 से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त नियम–86A(1) के तहत Block की गयी Credit को नियम–86A(2) के तहत संबंधित पंजीकृत व्यक्ति के Credit Ledger से धारा–49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन अथवा रिफण्ड दावे हेतु Debit किया जाना अनुमन्य किया जा सकेगा।

2.2 खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी के अधिक्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में नियम–86A(2) के तहत कार्यवाही संबंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जाएगी। जिन खण्ड कार्यालयों में डिप्टी कमिश्नर की तैनाती नहीं है, उन खण्डों में यह कार्यवाही खण्ड में तैनात असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा की जाएगी।

3. नियम– 86A(3) के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि नियम–86A(1) के अधीन Restrictions एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएंगी। अतः इस श्रेणी के मामलों में राजस्व संरक्षित करने हेतु अधिनियम/नियमावली के अन्य सुसंगत प्राविधानों के तहत वांछित कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण करने का दायित्व संबंधित अधिकृत न्याय निर्णयन प्राधिकारी(Adjudicating Authourity) का होगा।

4. नियम–86A के तहत कृत/अवशेष कार्यवाही की मॉनीटरिंग हेतु वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा प्रारूप तैयार किया जाएगा जिसे आई0टी0 अनुभाग द्वारा Live किया जाएगा। मॉनीटरिंग हेतु निर्धारित प्रारूप में नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही हेतु एक सप्ताह से अधिक अवशेष मामलों का विवरण तथा नियम–86A(3) के प्राविधानों के दृष्टिगत नियम–86A(1) के तहत Block की गयी Credit से संबंधित मामलों में राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से अधिनियम/नियमावली के अन्य प्राविधानों के अंतर्गत वांछित कार्यवाही हेतु लम्बित मामलों का विवरण भी शामिल किया जाएगा।

5. प्रत्येक संभाग में नियम–86A के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्राप्त मामलों/कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्पो0सर्कि0)/ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय में रखा जाएगा। नियम–86A के तहत कृत कार्यवाही को ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के स्तर से की जाने वाली साप्ताहिक समीक्षा तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर के स्तर से की जाने वाली पाक्षिक समीक्षा के एजेण्डा में शामिल किया जाएगा।

6. प्रत्येक विभागीय अधिकारी की Gov/NIC E-mail ID विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। नियम–86A के अंतर्गत प्रेषित की जाने वाली प्रत्येक ई–मेल के Subject में Key word "Proceeding Under Rule- 86A" अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

7. उक्त प्रक्रिया से विचलन की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर(विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(IMC/STF), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. ज्वाइण्ट कमिश्नर(TRU/SIB/IT), वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

Scanned by CamScanner